न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 47/2021

1 अशोक कुमार पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुरेश कुमार पुत्र अमरसिंह नवीरा मंगतूराम जाति अहीर निवासी पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

2 कलावती पत्नी अमरसिंह।

3 कृष्ण कुमार पुत्र अमरसिह।

4 सुमन पत्नी शिब्बूराम।

5 मास्टर टिंकू पुत्र शिब्बूराम नवीरा अमरसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता।

6 उप पंजियक बुहाना जिला झुंझुनू।

7 हल्का पटवारी ग्राम पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

8 लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांकित 19.06.2018 अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 85/2016 बउनवानी सुरेश कुमार बनाम कलावती आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनू अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थिति :

1. श्री राजेश माथुर, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 6-4-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 85/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी सुरेश कुमार ने ग्रम पांथरोली की भूमि खसरा नम्बर 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 422, 429, 430, 431, 438, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 475, 476, 477, 478, 479, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 911/389, 914/400, 394, 400, 401 402, 403, 406, 407, 408, 411, 412, 19, 87, 113, 18, 46, 73, 92, 105, 273, 492, 539, 840, 896, 292 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई उक्त भूमि के संदर्भ में अप्रार्थीगण को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखल नहीं करने के लिए पाबंद किया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित भूमि का सहखातेदार है। विचारण न्यायालय में प्रार्थी ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

विवादित भूमियों में मंगतूराम के 1/20 हिस्से में से 1/3 हिस्से के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना संपूर्ण भूमि पर स्थगन जारी कर दिया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं था। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अतः आवेदन धारा 5 व धारा 96 एवं अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पक्षकारों के हितो का निर्धारण विचारण न्यायालय में लम्बित मूल वाद में उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर बाद सुनवाई किया जाना शेष है। इससे पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6-4-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर